संख्या : 112/2018/1927/छप्पन-2018-153/2000

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

विषय :राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 17 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहाल अथवा स्पेशल इन्स्पेक्शन कार्यों को सम्पादित कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 339/ना0उ0नि0/इंजी/बी-2/2018(पी), दिनांक 27 सितम्बर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 17 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहाल अथवा स्पेशल इन्स्पेक्शन कार्यों को हेलीकाप्टर निर्माता फर्म **Bell Helicopter Textron, Inc** की सहयोगी फर्म **M/s. 'Able Aerospace Services, 7706 E. Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A'** से ई-मेल द्वारा प्राप्त बजटरी कोटेशन के अनुसार कराए जाने हेतु रू0 26,97,750/- (रूपए छब्बीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ पचास मात्र) (35970.00 यू0एस0 डॉलर, रूपये 75/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से) का आगणन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही उक्त धनराशि अग्रिम रूप से आहरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412ईपी वीटी-यू0पी0ओ0 पर स्थापित 17 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहाल अथवा स्पेशल इन्स्पेक्शन कार्यों को हेलीकाप्टर निर्माता फर्म **Bell Helicopter Textron, Inc** की सहयोगी फर्म **M/s. 'Able Aerospace Services, 7706 E. Velocity Way, Mesa, AZ 85212, U.S.A'** से ई-मेल द्वारा प्राप्त बजटरी कोटेशन के अनुसार कराए जाने हेतु रू0 26,97,750/- (रूपए छब्बीस लाख सत्तानबे हजार सात सौ पचास मात्र) (35970.00 यू0एस0 डॉलर, रूपये 75/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से) के व्यय की वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- उक्त हेलीकाप्टर पर स्थापित 17 कम्पोनेन्ट्स पर 2500 उड़ान घण्टे पूर्ण होने पर ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

5- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्यव्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-1030/दस-2018 दिनांक 19 नवम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या: 112/2018/1927(1)/छप्पन-2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in